उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

अभिभाषक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की। मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गयी। कील जाखीना के द्वारा ओडिशा जाना के लिखाना जाकर स्कूल न्यायालय द्वारा गया। पत्रावली विभिन्न द्वारा होकर शरीक स्वीकार है।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:44:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार **आर.ए.एस**

प्रकरण संख्या :– 145/2021

प्रार्थीया

1. सरपंच ग्राम पंचायत मीठीबेरी
   वर्तमान सरपंच श्रीमती जेठीदेवी ग्राम पंचायत मीठीबेरी
   तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम वास्ते राजस्व रेकर्ड मौजा बांकाणी सारणों की ढाणी, ग्राम पंचायत मीठीबेरी, खसरा संख्या 401/7 रकबा 2.0234 है0 किस्म गे.मु.आबादी, प्रभावित मूल खसरा संख्या 401/2 गे.मु.गोचर में तरमीम दुरूस्तीकरण बाबत्

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 08-11-21

प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् तरमीम दुरस्ती का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि पूर्व ग्राम पंचायत गोलिया जेतमाल एवं वर्तमान ग्राम पंचायत मीठीबेरी के राजस्व ग्राम बांकाणी सारणों की ढाणी में खसरा संख्या 401/7 रकबा 2.0234 है0 (12–10 बीघा) किस्म गे.मु. आबादी का आया हुआ है।

श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश क्रमांक प. 12(3)(43)/राज /08/1246 दिनांक 26 फरवरी 2009 से सरपंच ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल के मौजा बांकाणी सारणों की ढाणी के खसरा संख्या 401/2 रकबा 288–09 बीघा भूमि किस्म गे.मु. गोचर में से रकबा 12–10 बीघा किस्म गे.मु. गोचर खारिज कर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तावित नक्शे में दर्शाये अनुसार आबादी भूमि विस्तार हेतु ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल की आबादी विस्तार हेतु निःशुल्क आवंटन किया गया था। उक्त आदेश की पालना में [illegible] प्रस्तावित स्थल से हटकर नक्शा ट्रेस में तरमीम करदी गई।

वर्तमान में सेगरिगेशन एव तहसील गुड़ामालानी के ऑफलाईन राजस्व अभिलेख प्रकिया पूर्ण की गई तब उक्त आबादी भूमि की जमाबन्दी एवं नक्शा लिये जाने पर पता चला कि उक्त तरमीम जहां आबादी भूमि बसी हुई है वहां नहीं कर उसके विपरीत कर दी है जबकि खसरा संख्या 401/7 में की गई तरमीम मूल खसरा संख्या 401/2 में सही तरमीम

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:44:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

परिशिष्ट (अ) अनुसार होनी थी। श्रीमान जिला कलक्टर के आदेशानुसार एवं वर्तमान बसावट के अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है इसलिये तरमीम दुरूस्ती हेतु उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में लाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी से तथ्यात्मक रिर्पोट ली गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपनी रिर्पोट क्रमांक 17 दिनांक 08.11.2021 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बांकाणी सारणों की ढाणी के खसरा नम्बर 401/7 रकबा 2.0234 है0 गे.मु. आबादी सन 2007 में मांग की जाकर खसरा नम्बर 401/2 में से श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा आबादी भूमि घोषित की गयी, उस वक्त प्रस्तावित भूमि नक्शा ट्रेस में बरंग लाल प्रस्तावित की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 229 स्वीकृत होकर रिकार्ड में अमलदरामद किया गया, उक्त नामान्तरकरण की पुश्त पर तरमीम अक्ष का अंकन नहीं होने से DILRMP कार्य के दौरान वन टू वन मेपिंग में प्रस्तावित नक्शे हटकर अन्यत्र तरमीम नक्शा ट्रेस में की गयी, जिससे वर्तमान में बसी आबादी परिवार बाहर हो गये हैं। आबादी भूमि के प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थान व बसी आबादी भूमि खसरा नम्बर 401/7 रकबा 2.0234 है0 को शुद्ध किया जाना जनहित में उचित है।

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान—2021 केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय छोटू पेश हुई। भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट शामिल की गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं विप्रार्थी भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी की रिर्पोट का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। ग्राम बांकाणी सारणों की ढाणी में आबादी भूमि विस्तार हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा खसरा संख्या 401/2 रकबा 288—09 बीघा किस्म गोचर में से 24—00 बीघा प्रस्तावित पत्रावली एवं जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश क्रमांक 1246 दिनांक 26.02.2009 का अवलोकन व अध्यन किया गया। उक्त आदेश द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा मौजा बांकाणी सारणों की ढाणी के खसरा नम्बर 401/2 में से रकबा 12—10 बीघा किस्म गे.मु. गोचर में से खारीज कर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तावित नक्शे में दर्शाये अनुसार आबादी बिस्तार हेतु भूमि निःशुल्क आवंटित की है। चूंकि तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 229 स्वीकृत होकर रिकार्ड में अमलदरामद किया गया, उक्त नामान्तरकरण की पुश्त पर तरमीम अक्ष का अंकन नहीं होने से DILRMP कार्य के दौरान वन टू वन मेपिंग में प्रस्तावित नक्शे से हटकर अन्यत्र तरमीम नक्शा ट्रेस में की गयी, जिससे वर्तमान में बसी आबादी परिवार बाहर हो गये हैं। आबादी भूमि के प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थान व बसी आबादी भूमि खसरा नम्बर 401/7 रकबा 2.0234 है0 को शुद्ध किया जाना जनहित में उचित है। अवलोकन रेकर्ड से यह स्पष्ट हो चुका है कि उक्त तरमीम प्रस्तावित स्थान से अन्यत्र हो गई है, इस प्रकार राजस्व कार्मिकों

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:44:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

द्वारा गलत हुई तरमीम को बनाये रखना न्यायालय उचित नहीं समझती है। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान तरमीम निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार गुड़ामालानी की रिर्पोट क्रमांकः भू0अ0/2021/17 दिनांक 08.11.2021 के संलग्न मौका रिर्पोट व नजरी नक्शा अनुसार अर्थात श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश क्रमांक प. 12(3)(43)/राज/08/1246 दिनांक 26.02.2009 द्वारा स्वीकृत नजरी नक्शा अनुसार ग्राम बाकाणी सारणों की ढाणी के खसरा नम्बर 401/2 रकबा 12–10 बीघा (2.0234 हैक्टेयर) की तरमीम दुरूस्त करने तथा इसी अनुसार रेकर्ड दुरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुड़ामालानी की उक्त मौका रिर्पोट भू0अ0/2021/17 दिनांक 08.11.2021 तथा श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर का आदेश क्रमांक प.12(3)(43)राज/08/1246 दिनांक 26.02.2009 निर्णय का अभिन्न रहेगा। तहसीलदार गुड़ामालानी आदेशों की पालना कर पालना रिर्पोट एक माह में पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

आदेश आज दिनांक **08.11.2021** को प्रशासन गावों के संग अभियान ग्राम पंचायत मुख्यालय छोटू में खुले न्यायालय मजमेआम सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:44:35 IST
Reason: SelfAttested